रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072025-264360
CG-DL-E-04072025-264360

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 2, 2025/ आषाढ़ 11, 1947
No. 472] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 2, 2025/ASHADHA 11, 1947

dsUæh; fo|qr fofu;ked vk;ksx

vf/kLkwpuk

नई दिल्ली, 26 जून 2025

la- ,y&1@250@2019@lhbZvkjlh-— केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के भाग V के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के बाद, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 (जिसे इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) को संशोधित करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1- laf{kIr uke rFkk çkjEHk

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (चौथा संशोधन) विनियम, 2025 है।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2- ewy fofu;eksa ds fofu;e 2 dk la'kks/ku

(1) मूल विनियमों के विनियम 2 के उपखंड (कक) के बाद नए उप–खंड (कक–i) और (कक–ii) निम्नानुसार जोड़े जाएंगेः

(कक–i) 'टैरिफ विनियम' से समय–समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन व शर्तें) विनियम, 2024 अभिप्रेत है;

(कक–ii) 'टर्मिनल बे' का वही अर्थ होगा जैसा कि जीएनए विनियमों में यथा परिभाषित है;

3- ey fofu;ek d fofu;e 9 dk l'kk/ku

(1) मूल विनियमों के विनियम 9(8) के प्रथम परंतुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"परंतु यह कि राज्य नियंत्रण क्षेत्र के भीतर स्थित और पृथक जीएनए प्राप्त कर चुके आदेशिती डीआईसी (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के अलावा), जो कि राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के जीएनए में शामिल नहीं हैं, उन्हें उनके जीएनए के अनुपात में राज्य के लिए कुल एसी–यूबीसी प्रभारों में से पारेषण प्रभारों को प्रभाजित किया जाएगा।"

4- ey fofu;ek d fofu;e 12 dk l'kk/ku

(1) मूल विनियमों के विनियम 12 के खंड (1) के उप–खंड (क) के तीसरे परंतुक के बाद दो नए परंतुक निम्नानुसार जोड़े जाएंगेः

"परंतु यह भी कि अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली और अंतः राज्यिक पारेषण प्रणाली दोनों से दोहरी संयोजकता वाले उत्पादन स्टेशन के लिए पारेषण विचलन की संगणना 'अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में जीएनए और पहुंच के साथ एसटीयू प्रणाली' के योग की अधिकता में समय ब्लॉक में निवल मीटर्ड एक्स–बस अंतःक्षेपण के रूप में की जाएगी।

परंतु यह भी कि एसटीयू के साथ पहुंच के विवरण एनएलडीसी और सीटीयू के साथ एसटीयू द्वारा साझा किए जाएंगे।

."

5- ey fofu;ek d fofu;e 13 dk l'kk/ku

(1) मूल विनियमों के विनियम 13 के खंड (2) में शब्दों "(iii) हाइड्रो पावर स्रोतों पर आधारित उत्पादन" के बाद शब्द "या (iv) ऑफशोर विंड पर आधारित आरईजीएस" को अंतर्वेशित किया जाएगा।

(2) मूल विनियमों के विनियम 13 के खंड (2) के उप–खंडों (क) और (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

''(क) पवन या सौर स्रोत या पवन और सौर स्रोत के संयोजन पर आधारित आरईजीएस या आरएचजीएस नीचे सारणी 1 के अनुसार अधित्याग प्रदान किए जाने हेतु पात्र होंगेः

lkj.kh 1% vkjbZth,l ;k vkj,pth,l

J.kh	lhvkMh dh vof/k ¼1½	lhvkMh ls o"kks dh la[;k ¼2½	igpku x, mRiknu LVs'ku ls vkgj.k vuqlph dk %] ftu ij vuqc/k&III ds v/khu fopkj fd;k tk,xk ¼3½
iou ;k lkj lkSr ij vk/kkfjr vkjbZth,l ;k iou vkSj lkSj lkSr ij vk/kkfjr vkj,pth,l	30.06.2025 को या इससे पूर्व	25 वर्ष	100
	1.7.2025 से 30.6.2026	25 वर्ष	75
	1.7.2026 से 30.6.2027	25 वर्ष	50
	1.7.2027 से 30.6.2028	25 वर्ष	25
	30.6.2028 के बाद		0

(ख) ईएसएस निम्नानुसार अधित्याग प्रदान किए जाने हेतु पात्र होगा और इस खंड के उप–खंड (ग) के अनुसार शर्तों के अध्यधीन होगाः

(i) हाइड्रो पीएसपी ईएसएस, जिसे दिनांक 30.6.2028 को या इससे पूर्व निर्माण कार्य प्रदान किया गया है, सीओडी से 25 वर्षों की अवधि के लिए पारेषण प्रभारों के अधित्याग हेतु पात्र होगा।

स्पष्टीकरणः जब ऐसे हाइड्रो पीएसपी आदेशिती डीआईसी को विद्युत की आपूर्ति करते हैं, तो ऐसे हाइड्रो पीएसपी से आदेशिती डीआईसी के लिए आहरण अनुसूची के 100% पर अनुबंध–III के अधीन अधित्याग की संगणना के लिए विचार किया जाएगा।

(ii) बैटरी ईएसएस नीचे सारणी 2 के अनुसार अधित्याग प्रदान किए जाने हेतु पात्र होगाः

lkj.kh 2% cVjh b,l,l

Ø-l-	J.kh	lhvkMh dh vof/k	lhvkMh ls o"kkZ dh la[;k	vuqca/k&III ds v/khu fopkj fd, tkus ds fy, vknf'krh Mhvkbl h ds fy, vkgj.k vuqlph dk %] tc foØsrk b,l,l gks
1.	सबस्टेशन से जुड़ा बैटरी ईएसएस जहाँ आरईजीएस संयोजित हो और ऐसे आररईजीएस से चार्ज हो	30.6.2028 को या इससे पूर्व	12 वर्ष	100
2.	सबस्टेशन से जुड़ा बैटरी ईएसएस जहाँ कोई आरईजीएस संयोजित न हो या सबस्टेशन से जुड़ा बैटरी ईएसएस जहाँ आरईजीएस संयोजित हो परंतु बैटरी ईएसएस ग्रिड से या आरईजीएस के अलावा अन्य किसी स्रोत से या इस सारणी के क्रम सं.1 के अधीन कवर न किए गए किसी अन्य बैटरी ईएसएस से चार्ज हो	30.6.2025 को या इससे पूर्व	12 वर्ष	100
		1.7.2025 से 30.6.2026	12 वर्ष	75
		1.7.2026 से 30.6.2027	12 वर्ष	50
		1.7.2027 से 30.6.2028	12 वर्ष	25
		30.6.2028 के बाद	लागू नहीं	0

परंतु यह कि बैटरी ईएसएस, जो सारणी 2 के क्र.सं.1 के अधीन कवर है, जिसे उसी सबस्टेशन से जुड़े आरईजीएस से चार्ज किया जाना अपेक्षित है, जीएनए विनियमों और ग्रिड कोड के अध्यधीन और इस शर्त के अध्यधीन कि वर्ष में ऐसी आकस्मिकता (आकस्मिकताओं) के अधीन जीएनए ग्रिड से ऊर्जा आहरण बैटरी ईएसएस चार्ज करने के लिए वर्ष में कुल ऊर्जा आवश्यकता के 10% से अधिक नहीं होगा, आकस्मिकता के अधीन ग्रिड से अपनी बैटरी ईएसएस चार्ज कर सकता हैः

परंतु यह भी कि इन विनियमों के प्रयोजन हेतु, बैटरी ईएसएस के साथ सहस्थित आरईजीएस और आईएसटीएस सबस्टेशन पर बिना किसी अतिरिक्त संयोजकता मात्रा के साथ ऐसे ईएसएस को केवल चार्ज करने के उद्देश्य से संस्थापित सारणी 2 के क्र.सं. 1 के अधीन ऐसा बैटरी ईएसएस भी पात्र होगा।''

(3) मूल विनियमों के विनियम 13 के खंड (2) के उप–खंड (ङ) और (च) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाएंगेः

"(ङ) हाइड्रो उत्पादन स्टेशन नीचे सारणी 3 के अनुसार अधित्याग प्रदान किए जाने हेतु पात्र होगाः

lkj.kh 3% gkbMªks mRiknu LVs'ku

ihih, gLrk{kjhdj.k dh rkjh[k vkj fuek.k dk;Z çnku fd;k tkuk	lhvksMh ls o"kksZ dh l[;k	gkbMªks mRiknu LVs'ku ls vkgj.k vuqlwph dk % ftl ij vuqca/k&III ij fopkj fd;k tk,xk
1-12-2022 dks ;k blds ckn vkSj 30-6-2025 dks ;k blls iwoZ	18 वर्ष	100%
1-7-2025 ls 30-6-2026	18 वर्ष	75
1-7-2026 ls 30-6-2027	18 वर्ष	50
1-7-2027 ls 30-6-2028	18 वर्ष	25
30-6-2028 ds ckn	लागू नहीं	0

अधित्याग के लिए पात्रता हेतु तारीख को पीपीए के हस्ताक्षरीकरण की तारीख या निर्माण कार्य प्रदान किए जाने की तारीख, जो भी बाद में हो, के रूप में माना जाएगा।

"

(च) ऑफशोर पवन या ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया संयंत्रों पर आधारित आरईजीएस के लिए अधित्याग की संगणना नीचे सारणी 4 और सारणी 5 के अनुसार की जाएगीः

lkj.kh 4% **ऑफशोर पवन पर आधारित आरईजीएसः**

सीओडी की अवधि	सीओडी से वर्षों की संख्या	ऑफशोर विंड उत्पादन स्टेशन से निकासी अनुसूची का %, अनुबंध–III के अधीन विचार किए जाने हेतु
31.12.2032 को या इससे पूर्व	25 वर्ष	100
01.01.2033 से 31.12.2033	25 वर्ष	75
01.01.2034 से 31.12.2034	25 वर्ष	50
01.01.2035 से 31.12.2035	25 वर्ष	25
31.12.2035 के बाद	लागू नहीं	0

lkj.kh 5% vknf'krh MhvkbZlh ds :i esa xzhu gkbMªkstu ;k xzhu veksfu;k la;a=ksa ds fy, vkbZ,lVh,l ds mi;ksx gsrq ikjs"k.k çHkkjksa dk vf/kR;kx%

सीओडी की अवधि (1)	सीओडी से वर्षों की संख्या (2)	आदेशिती डीआईसी के रूप में ऐसे संयंत्रों के लिए आहरण अनुसूची का %, जिन पर अनुबंध–III के अधीन विचार किया जाएगा (3)
31.12.2030 तक	25 वर्ष	100

01.01.2031 से 31.12.2031	25 वर्ष	75
01.01.2032 से 31.12.2032	25 वर्ष	50
01.01.2033 से 31.12.2033	25 वर्ष	25
01.01.2034 के बाद		0

आदेशिती डीआईसी के रूप में (i) पवन (ऑफशोर विंड सहित) या सौर स्रोत पर आधारित आरईजीएस या आरएचजीएस, (ii) ईएसएस जो कि पवन या सौर स्रोत पर आधारित आरईजीएस या आरएचजीएस से उत्पादित विद्युत से पानी की पम्पिंग या बैटरी की चार्जिंग के लिए अपनी वार्षिक विद्युत आवश्यकता का कम से कम 51% पूरा कर रहा है और (iii) हाइड्रो उत्पादन स्टेशन से निकासी अनुसूची वाले ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया संयंत्र इस विनियम के खंड (2) के उप–खंड (ख)(i) और (घ) और सारणी 1 से 4 के अनुसार या सारणी 5, जो भी उच्चतर हो, के अनुसार निकासी अनुसूची को मानते हुए अधित्याग का पात्र होगा।

mnkgj.k%

(i) ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र 'जी1', जो दिनांक 01.01.2032 (सारणी 5 के अनुसार 50% अधित्याग के लिए पात्र) को सीओडी घोषित करता है, पवन स्रोत 'डब्ल्यू1' पर आधारित उस आरईजीएस से विद्युत का अनुसूचीकरण कर रहा है जिसने दिनांक 01.07.2025 (सारणी 1 के अधीन 75% अधित्याग के लिए पात्र) को वाणिज्यिक प्रचालन घोषित किया है। इस मामले में, ऐसे आरईजीएस से ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को निकासी अनुसूची अनुबंध–III के अधीन 75% की दर पर मानी जाएगी। वर्ष 2052 में जी1 द्वारा आरई उत्पादन के उपभोग के लिए अधित्याग की संगणना करते हुए, डब्ल्यू1 के लिए अधित्याग की अवधि 2050 में पहले ही समाप्त हो गई है, मान लीजिए, जी1 उस अन्य उत्पादन परियोजना से आरई विद्युत लेता है जिसने वर्ष 2030 में सीओडी घोषित की है या वह डब्ल्यू1 से लेता है (मानते हुए कि डब्ल्यू1 का जीवन विस्तारित हुआ है), तो जी1 के लिए लागू अधित्याग 50% होगा।

(ii) ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र, जो दिनांक 01.01.2030 को सीओडी घोषित करता है, पवन स्रोत पर आधारित उस आरईजीएस से विद्युत का अनुसूचीकरण कर रहा है जिसने दिनांक 01.07.2027 को वाणिज्यिक प्रचालन घोषित किया है। इस मामले में, ऐसे आरईजीएस से ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को निकासी अनुसूची अनुबंध–III के अधीन 100% की दर पर मानी जाएगी।"

(4) मूल विनियमों के विनियम 13 के खंड (2) के अधीन उप–खंड (छ) के बाद एक नया उप–खंड (ज) और (i) निम्नानुसार अंतर्वेशित किया जाएगाः

"(ज) पवन या सौर स्रोत पर आधारित कोई आरईजीएस या पवन और सौर स्रोत के संयोजन पर आधारित आरएचजीएस या बैटरी ईएसएस जो इन विनियमों के विनियम 13(2) के अधीन अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों के अधित्याग के लिए पात्र है और जिसके वाणिज्यिक प्रचालन (एससीओडी) की अनुसूचित तारीख 30 जून 2025 को या उससे पूर्व है, और जिसे पारेषण की अनुपलब्धता सहित किसी अप्रत्याशित घटना, या उन कारणों से जो आरईजीएस पर आरोप्य नहीं हैं, के कारण वाणिज्यिक प्रचालन तारीख (सीओडी) प्राप्त करने के लिए समय का विस्तार प्रदान किया गया है, और परियोजना बढ़ाई गई तारीख को या उससे पूर्व सीओडी प्राप्त करती है, तो वह अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों के अधित्याग के लिए पात्र होगी मानो उक्त आरईजीएस ने दिनांक 30.6.2025 को सीओडी प्राप्त कर ली थी। इस विनियम के उद्देश्य हेतु एससीओडी प्राप्त करने के लिए ऐसा विस्तार एक समय पर छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा और दो गुणा से अधिक नहीं होगा, जहां प्रदान किया गया विस्तार दिनांक 30.06.2025 के बाद की अवधि के लिए है। ऐसा विस्तार निम्नलिखित द्वारा प्रदान किया जाएगाः

(i) विद्युत क्रय करार के निबंधनों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ओर से प्राधिकृत एजेंसी या सक्षम प्राधिकारी के अनुसार एमएनआरई, जहाँ अधिनियम की धारा 63 के अधीन पीपीए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के परिणामस्वरूप किया गया है;

(ii) इस खंड के उप–खंड (i) में कवर किए गए के अलावा मामलों के लिए, आयोग द्वारा नियुक्त की जाने वाली समिति की संस्तुतियों के आधार पर आयोग। ऐसा विस्तार मांगने के उद्देश्य से, संबंधित उत्पादन परियोजना या ईएसएस आयोग द्वारा पृथक आदेश के माध्यम से की गई अधिसूचना के अनुसार आयोग में आवेदन करेगा।

(i) एनएलडीसी द्वारा मासिक पारेषण प्रभारों के उद्देश्य से, पवन या सौर स्रोत पर आधारित आईजीएस या आरएचजीएस से उत्पादित विद्युत के साथ बैटरी की चार्जिंग या जल की पम्पिंग के लिए अपनी वार्षिक विद्युत आवश्यकता के 51% को पूरा करने के संबंध में ईएसएस के लिए इस विनियम के उपखंड (ग) और (च) की आवश्यकता को ऐसे अधित्याग का दावा करने वाली इकाई द्वारा स्व–घोषणा के आधार माना जाएगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, एनएलडीसी द्वारा यह सत्यापित किया जाएगा कि क्या 51% मानदंड को पूरा कर लिया गया है, जिसके न होने पर ऐसी इकाई के लिए किसी अधित्याग पर विचार न करते हुए पारेषण प्रभारों के लिए पुनरीक्षित बिल बनाए जाएंगे।

(5) मूल विनियमों के विनियम 13 के खंड (3) के द्वितीय परंतुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"परंतु यह और कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के दायरे में आईएसटीएस सब–स्टेशन पर टर्मिनल बे ने सीओडी प्राप्त कर ली हैऔर संयोजकता अनुदानग्राही की संयोजकता की आरंभ तारीख को या उससे पूर्व संयोजकता अनुदानग्राही (नवीकरणीय विद्युत पार्क में उत्पादन क्षमता की सीओडी यदि संयोजकता अनुदानग्राही नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता है) की सीओडी प्राप्त नहीं हुई है, तो संयोजकता अनुदानग्राही उस संयोजकता क्षमता के तदनुरूपी टर्मिनल बे के लिए वार्षिक पारेषण प्रभारों का भुगतान करेगा जिसने सीओडी प्राप्त नहीं की हैः

परंतु यह भी कि संबद्ध पारेषण प्रणाली और उस संयोजकता क्षमता के तदनुरूप टर्मिनल बे (बेज़) जिसने सीओडी प्राप्त कर ली है, के संबंध में वार्षिक पारेषण प्रभारों को इन विनियमों के विनियम 5 से विनियम 8 के अनुसार डीआईसी के पारेषण प्रभारों के अवधारण हेतु शामिल किया जाएगा।"

(6) मूल विनियमों के विनियम 13 के खंड (6) में कई बार आने वाले शब्दों 'संबद्ध पारेषण प्रणाली' के स्थान पर शब्द 'संबद्ध पारेषण प्रणाली और टर्मिनल बे (बेज़)' रखे जाएंगे।

(7) मूल विनियमों के विनियम 13 के खंड (13) के बाद नए खंड (14) और (15) निम्नानुसार जोड़े जाएंगेः

"(14) पारेषण प्रणाली की उपलब्धता

टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अधीन पारेषण सेवा करार में किसी भी विपरीत उपबंधों के होते हुए भी, पारेषण प्रणाली या उसके घटक के पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक की संगणना सुसंगत टैरिफ विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार की जाएगी।

(15) इन विनियमों के विनियम 13 के खंडों (1) से (12) के अधीन बिलिंग के उद्देश्य से, जहाँ तदनुरूपी घटकों के वार्षिक पारेषण प्रभार उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ ऐसे घटकों के लिए वार्षिक पारेषण प्रभारों की संगणना की जाएगी और सूचक पूंजी लागत के आधार पर एकीकृत परियोजना के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक पारेषण प्रभारों को बांटते हुए केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी द्वारा प्रदान किए जाएंगे।''

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./205/2025-26]

ukV%

(1) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 दिनांक 01.07.2020 को भारत के राजपत्र (असाधारण) सं. 243 के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित हुए थे।

(2) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, (पहला संशोधन) 2023 दिनांक 01.03.2023 को भारत के राजपत्र (असाधारण) सं. 149 के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित हुए थे।

(3) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 दिनांक 27.10.2023 को भारत के राजपत्र (असाधारण) सं. 733 के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित हुए थे।

(4) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 दिनांक 27.10.2023 को भारत के राजपत्र (असाधारण) सं. 734 के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित हुए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2025

F.No. L-1/250/2019/CERC— In exercise of the powers conferred under Section 178 read with Part V of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations") namely:

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) (Fourth Amendment) Regulations, 2025.

(2) These regulations shall come into effect from the date of publication in the official Gazette.

2. Amendment To Regulation 2 Of The Principal Regulations:

(1) New Sub-Clauses (Aa-I) And (Aa-Ii) Shall Be Included After Subclause (Aa) Of Regulation 2 Of The Principal Regulations As Under:

"(Aa-I) 'Tariff Regulations' Means The Central Electricity Regulatory Commission (Terms And Conditions Of Tariff) Regulations, 2024, As Amended From Time To Time;

(Aa-ii) 'Terminal Bay' Shall Have The Same Meaning As Defined In The Gna Regulations;"

3. Amendment To Regulation 9 Of The Principal Regulations:

(1) First Proviso To Regulation 9(8) Of The Principal Regulations Shall Be Substituted As Under:

"Provided That Drawee Dics (Other Than The Distribution Licensees Of The State) Located Within The State Control Area, And Having Obtained Separate Gna, Which Are Not Included In The Gna Of The Distribution Licensees Of The State, Shall Be Apportioned The Transmission Charges Out Of The Aggregate Ac-Ubc Charges For The State In Proportion To Their Gna."

4. Amendment To Regulation 12 Of The Principal Regulations:

(1) Two New Provisos Shall Be Added After The Third Proviso Of Sub-Clause (A) Of Clause (1) Of Regulation 12 Of The Principal Regulations As Under:

"Provided Also That For A Generating Station Having Dual Connectivity To Both Inter-State Transmission System And Intra-State Transmission System, The Transmission Deviation Shall Be Computed As Net Metered Ex-Bus Injection, In A Time Block In Excess Of The Sum Of 'Gna To The Inter-State Transmission System And Access With Stu System';

Provided Also That The Details Of Access With Stu Shall Be Shared By Stu With Nldc And Ctu."

5. Amendment To Regulation 13 Of The Principal Regulations:

(1) The Words "Or (Iv) Regs Based On Offshore Wind" Shall Be Inserted After The Words "(Iii) Generation Based On Hydro Power Sources" In Clause (2) Of Regulation 13 Of The Principal Regulations.

(2) The Sub-Clauses (A) And (B) Of Clause (2) Of Regulation 13 Of The Principal Regulations Shall Be Substituted As Under:

"(a) REGS or RHGS based on wind or solar source or a combination of wind and solar source shall be eligible for the grant of waiver as per Table 1 below:

Table 1: REGS or RHGS

Category	**Period of COD**	**Number of years from COD**	**% of drawal Schedule from identified generating station, to be considered under Annexure-III**
REGS based on wind or solar source or RHGS based wind and solar source	On or before 30.6.2025	25 years	100
	1.7.2025 to 30.6.2026	25 years	75
	1.7.2026 to 30.6.2027	25 years	50
	1.7.2027 to 30.6.2028	25 years	25
	After 30.6.2028		0

(b) ESS shall be eligible for the grant of waiver as below and shall be subject to conditions as per sub-clause (c) of this Clause:

(i) Hydro PSP ESS, for which construction work has been awarded on or before 30.6.2028, shall be eligible for a waiver of transmission charges for a period of 25 years from the COD.

Explanation: When such Hydro PSP is supplying power to a drawee DIC,100% of the drawal schedule for the drawee DIC from such Hydro PSP shall be considered under Annexure-III for the calculation of waiver.

(II) Battery Ess Shall Be Eligible For Grant Of Waiver As Per Table 2 Below:S

TABLE 2: BATTERY ESS

S. No.	**Category**	**Period of COD**	**Number of years from COD**	**% of drawal Schedule for drawee DIC when seller is ESS, to be considered under Annexure-III**
1.	Battery ESS connected at a substation where REGS is connected and is charged from such REGS	On or before 30.6.2028	12 years	100
2.	Battery ESS connected at a substation where no REGS is connected or Battery ESS connected at a substation where REGS is connected but Battery ESS is charged from Grid or source other than REGS or any other battery ESS not covered under S.No.1 of this Table.	On or before 30.6.2025	12 years	100
		1.7.2025 to 30.6.2026	12 years	75
		1.7.2026 to 30.6.2027	12 years	50
		1.7.2027 to 30.6.2028	12 years	25
		After 30.6.2028	NA	0

Provided That Battery Ess, Which Is Covered Under S. No. 1 Of Table 2, Is Required To Be Charged From Such Regs Which Is Connected At The Same Substation, May Charge Its Battery Ess From The Grid Under Contingency, Subject To Gna Regulations And Grid Code And Subject To The Condition That Energy Drawal From Grid Under Such Contingency (Ies) In A Year, Shall Not Exceed 10% Of Total Energy Requirement In A Year For Charging The Battery Ess:

Provided Also That For The Purpose Of These Regulations, Regs Collocated With Battery Ess And Installed Only For The Purpose Of Charging Such Ess With No Additional Connectivity Quantum At The Ists Substation Shall Also Qualify Such Battery Ess Under S.No.1 Of Table 2."

(3) The Sub-Clauses (E) And (F) Of Clause (2) Of Regulation 13 Of The Principal Regulations Shall Be Substituted As Under:

"(e) Hydro generating station shall be eligible for the grant of waiver as per Table 3 below:

Table 3: Hydro Generating Stations

Date of signing of PPA and award of construction work	**Number of years from COD**	**% of drawal Schedule from the hydro generating station, to be considered under Annexure-III**
On or after 1.12.2022 and On or before 30.6.2025	18 years	100%
1.7.2025 to 30.6.2026	18 years	75
1.7.2026 to 30.6.2027	18 years	50
1.7.2027 to 30.6.2028	18 years	25
After 30.6.2028	NA	0

The date for eligibility for waiver shall be considered as of the date of signing of the PPA or award of construction work, whichever is later.

(f) Waiver for REGS based on Offshore Wind or Green hydrogen or Green Ammonia Plants shall be calculated in terms of Table 4 and Table 5 below:

Table 4: REGS based on Offshore Wind:

Period of COD	Number of years from COD	% of drawal Schedule from offshore wind generating station, to be considered under Annexure-III
On or before 31.12.2032	25 years	100
01.01.2033 to 31.12.2033	25 years	75
01.01.2034 to 31.12.2034	25 years	50
01.01.2035 to 31.12.2035	25 years	25
After 31.12.2035	NA	0

Table 5: Waiver of transmission charges for the use of ISTS for Green Hydrogen or Green Ammonia Plant as a drawee DIC:

Period of COD (1)	Number of years from COD (2)	% of drawal Schedule for such plants as a drawee DIC, to be considered under Annexure-III (3)
Upto 31.12.2030	25 years	100
01.01.2031to 31.12.2031	25 years	75
01.01.2032 to 31.12.2032	25 years	50
01.01.2033 to 31.12.2033	25 years	25
After 01.01.2034		0

As a drawee DIC, a Green Hydrogen or Green Ammonia Plant having drawal schedule from (i) REGS or RHGS based on wind (including off shore wind) or solar source, (ii) ESS which is meeting at least 51% of its annual electricity requirement for pumping of water or charging of battery with electricity generated from REGS or RHGS based on wind or solar source and (iii) Hydro generating station, shall be eligible to waiver considering drawal schedule as per Table 5 or as per Tables 1 to 4 and sub-clause (b)(i) and (d) of Clause (2) of this Regulation, whichever is higher.

Illustration:

(i) A Green Hydrogen plant 'G1', which declares COD on 01.01.2032 (eligible for 50% waiver as per Table 5), is scheduling power from a REGS based on wind source 'W1' which has declared commercial operation on 01.07.2025 (eligible for 75% waiver under Table 1). In this case, the drawal schedule from such REGS to such Green Hydrogen plant will be considered @ 75% under Annexure-III. While calculating waiver for consumption of RE generation by G1 in year 2052, the period of waiver for W1 has already expired as on 2050, suppose G1 takes RE power from another generation project which has declared COD in year 2030 or it takes from W1 (supposing life of W1 got extended), the applicable waiver for G1 shall be 50%.

(ii) A Green Hydrogen plant, which declares COD on 01.01.2030, is scheduling power from a REGS based on a wind source, which has declared commercial operation on 01.07.2027. In this case, the drawal schedule from such REGS to such Green Hydrogen plant will be considered @ 100% under Annexure-III."

(4) New Sub-Clauses (H) And (I) Shall Be Inserted After Sub-Clause (G) Under Clause (2) Of Regulation 13 Of The Principal Regulations As Under:

A "(H) Any Regs Based On Wind Or Solar Source Or Rhgs Based On Combination Of Wind And Solar Source Or Battery Ess Which Is Eligible For A Waiver Of Inter-State Transmission Charges Under Regulation 13(2) Of These Regulations And Is Having Its Scheduled Date Of Commercial Operation (Scod) On Or Before 30th June 2025 Is Granted Extension Of Time To Achieve Commercial Operation Date (Cod) On Account Of Any Force Majeure Event Including Non-Availability Of Transmission System Or For Reasons Not Attributable To The Regs, And The Project Achieves Cod On Or Before The Extended Date, It Shall Be Eligible For A Waiver Of Inter-State Transmission Charges As If The Said Regs Had Achieved Cod On 30.6.2025.

Such Extension To Achieve Scod For The Purpose Of This Regulation Shall Not Exceed A Period Of Six Months At A Time And Not More Than Two Times, Where The Extension Provided Is For A Period Beyond 30.06.2025. Such Extension Shall Be Granted By:

(I) Renewable Energy Implementing Agency Or A Distribution Licensee Or An Authorized Agency On Behalf Of A Distribution Licensee Or Mnre As Per The Competent Authority In Terms Of The Power Purchase Agreements, Where Ppa Has Been Entered Into Consequent To Tariff Based Competitive Bidding, Under Section 63 Of The Act;

(II) Commission Based On Recommendations Of Committee To Be Appointed By The Commission, For Cases Other Than Covered In Sub-Clause (I) Of This Clause. For The Purpose Of Seeking Such Extension, The Concerned Generation Project Or Ess Shall File An Application To The Committee As Notified Through A Separate Order By The Commission.

B(I) For The Purpose Of Monthly Transmission Charges By Nldc, The Requirement Of Subclause (C) And (F) Of This Regulation For Ess Regarding Meeting 51% Of Its Annual Electricity Requirement For Pumping Of Water Or Charging Of Battery With Electricity Generated From Regs Or Rhgs Based On Wind Or Solar Source Shall Be Taken Based On Self-Declaration By The Entity Claiming Such Waiver. After Completion Of The Financial Year, It Shall Be Verified By Nldc Whether The 51% Criteria Have Been Met, Failing Which Revised Bills For Transmission Charges Shall Be Raised, Considering No Waiver For Such Entity."

(5) The Second Proviso Of Clause (3) Of Regulation 13 Of The Principal Regulations Shall Be Substituted As Follows:

"Provided further that where the Terminal Bay(s) at the ISTS sub-station in the scope of the transmission licensee have achieved COD and the COD of a Connectivity grantee (COD of generation capacity within the Renewable Power Park in case Connectivity Grantee is Renewable Power Park Developer) has not been achieved, on or before start date of Connectivity of the Connectivity Grantee, the Connectivity Grantee shall pay Yearly Transmission Charges for the Terminal Bay(s) corresponding to the Connectivity capacity which has not achieved COD:

Provided also that Yearly Transmission Charges in respect of the Associated Transmission System and terminal bay(s) corresponding to the Connectivity capacity that have achieved COD shall be included for determination of transmission charges of DICs in accordance with Regulations 5 to 8 of these regulations."

(6) The Words 'Associated Transmission System' Occurring Multiple Times Shall Be Replaced With The Words 'Associated Transmission System And Terminal Bay(S)' In Clause (6) Of Regulation 13 Of The Principal Regulations.

(7) New Clauses (14) And (15) Shall Be Added After Clause (13) Of Regulation 13 Of The Principal Regulations As Under:

"(14) Availability of the Transmission System

Notwithstanding any provisions to the contrary in the Transmission Service Agreement under tariff based competitive bidding, the Transmission System Availability Factor of a transmission system or an element hereof shall be calculated as specified in the relevant Tariff Regulations.

(15) For the purpose of billing under Clauses (1) to (12) of Regulation 13 of these regulations, where the Yearly Transmission Charges of corresponding elements are not available, the Yearly Transmission Charges for such elements shall be worked out and provided by the Central Transmission Utility, apportioning Yearly Transmission Charges approved by the Commission for the integrated project, based on indicative capital cost."

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[Advt.-III/4/Exty./205/2025-26]

Note:

(1) The Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020 were published on 01.07.2020 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No 243.

(2) The Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) (First Amendment) Regulations, 2023 were published on 01.03.2023 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No 149.

(3) The Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) (Second Amendment) Regulations, 2023 were published on 27.10.2023 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No 733.

(4) The Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) (Third Amendment) Regulations, 2023 were published on 27.10.2023 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No 734.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.07.04 11:41:39 +05'30'